	कृषि महाविद्यालय श्रीकर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविघालय, जोबनेर **फतेहपुर–शेखावाटी** 332 301 जिला : सीकर (राजस्थान)	M. 7976621276 **dean.coafatehpur@sknau.ac.in**

क्रमांक :एफ( )/लेखा/कृषि महा./एफटीआर/2019/4325–28 दिनांक 29.01.2019

निविदा सूचना

कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी के छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक भ्रमण में जाने हेतु दो डिलक्स मिनी बसें (52 विधार्थी + 6 स्टॉफ सदस्य) किराये हेतु आवश्यकता है । अतः इच्छुक पंजीकृत एजेन्सियों/बस मालिकों से निर्धारित प्रपत्र में मोहर बन्द निविदाये दिनांक 13.02.2019 को दोपहर 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। कार्यक्रम के विस्तृत विवरण एवं निविदा प्रपत्र मय आवश्यक शर्तो हेतु वेबसाइट **www.sknau.ac.in & sppp.rajasthan.gov.in** पर देखे।

भ्रमण की प्रस्तावित दिनांक	अनुमानित लागत	धरोहर राशि 2 प्रतिशत	निविदा फार्म शुल्क	निविदा फार्म बेचने की अन्तिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
21.02.2019 से 04.03.2019 अथवा दो सप्ताह	3.10 लाख	6200.00	500.00	12.02.2019 2.30 बजे तक	13.02.2019 दोपहर 12.30 बजे तक

भ्रमण के स्थान :– राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र मध्यप्रदेश, गोवा भ्रमण काल व कार्यक्रम आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकता है।

(जे0 एस0 मिश्र)
अधिष्ठाता

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् वित नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,जोबनेर को भेजकर लेख है कि अपने नामित सदस्य को दिनांक 13.02.2019 को भिजवाये।
2. श्रीमान् कोषाअधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,जोबनेर
3. संयोजक/सदस्य, निविदा समिति
4. प्रभारी सिमका को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि इस निविदा सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट/ **sppp.raj.nic.in** पर अपलोड कराने का श्रम करावे।
5. संम्पादक, राजस्थान पत्रिका को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा सूचना को सीकर संस्करण में प्रकाशित करवाने का श्रम करे।

(जे0 एस0 मिश्र)
अधिष्ठाता

कृषि महाविधालय, फतेहपुर–शेखावाटी, (सीकर)
निविदा प्रारूप

1	कार्यालय का नाम	कृषि महाविधालय, फतेहपुर–शेखावाटी, (सीकर)
2	निविदा सं0	4325–28 दिनांक 29.01.2019
3	निविदा प्राधिकारी	अधिष्ठाता, कृषि महाविधालय, फतेहपुर–शेखावाटी, (सीकर)
4	निविदा प्राप्त करने की दिनांक व समय	13.02.2019 दोपहर 12.00 बजे तक
5	निविदा का विवरण	प्राधिकृत व्यक्ति व फर्म का नाम पता .... मो0 ....
6	निविदा शुल्क	रसीद /डी. डी. संख्या .... दिनांक ....
7	धरोहर राशि 3500 रूपये	रसीद /डी. डी. संख्या .... दिनांक ....
8	कार्य का विवरण	विद्यार्थियों का शैक्षणिक भ्रमण दिनांक 21.02.2019 से 04.03.2019 तक **दो डिलक्स मिनी बसें** किराये पर लेने हेतु।
9	अनुबंध अवधि	2 सप्ताह
10	प्रस्तावित दर	संलग्न सूची के अनुसार

मैने/हमने कृषि महाविधालय, फतेहपुर–शेखावाटी द्वारा गठित उपापन समिति द्वारा जारी की गई निविदा की समस्त शर्तो को अच्छी तरह से समझ ली है, तथा मुझे/हमें निविदा की समस्त शर्ते मंजूर है व उनके सभी पृष्ठों पर उल्लेखित शर्तो का मेरे/हमारें द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में मैने/हमनें हस्ताक्षर कर दियें है। मै./हम .... घोषणा करता हूॅ/करते हैं कि मैने/हमने जिस कार्य के लिए निविदा दी है, उसका मैं बोनाफाइड स्वामी/पंजिकृत फर्म का मालिक हूं। यदि यह घोषणा असत्य पायी जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो भी की जा सकती है पर प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति/धरोहर राशि को पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जावे तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

निविदा दाता के हस्ताक्षर

कृषि महाविधालय, फतेहपुर–शेखावाटी, (सीकर)

निविदा सं0........................ शैक्षणिक भ्रमण जोधपुर, माउन्ट आबू, आनन्द, नवसारी, दापोली, गोवा, पुणे, दुले, इन्दौर, छतीसगढ, अजमेंर दिनांक .... 2019 हेतु **दो डिलक्स मिनी बसें** किराये पर उपलब्ध कराने हेतु निविदा की शर्ते :–

नोट :– निविदादाता को निविदा फार्म भरने से पूर्व निम्न शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ने के पश्चात ही निविदा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए तथा निविदा के साथ संलग्न करें।

1. इच्छुक निविदादाता वाहन किराये की दर उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में जिस पर '' **दो डिलक्स मिनी बसें** किराये पर उपलब्ध कराने हेतु सीमित निविदा'' लिखकर ही प्रस्तुत करें। खुली निविदा पाये जाने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी तथा निविदा के साथ निविदा के अनुमानित मूल्य के 2 प्रतिशत बयान राशि रूपये 6200.00 (अर्नेस्ट मनी) जमा करानी होगी। इसके अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। जिस निविदादाता के निविदा छूट ने पर 2 % धरोहर राशि जमा करवानी होगी।
3. वाहन किराये (अनुबंध) हेतु निविदा उन्हीं निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वीकार की जायेगी जो राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग में पंजिकृत है।
4. निविदादाता को शैक्षणिक भ्रमण यात्रा के दौरान निम्न दस्तावेज वाहन के साथ में आवश्यक रूप से रखने होगें :–
5. वाहन पंजियन प्रमाण पत्र
6. वाहन चालक का वैध अनुज्ञापत्र
7. वाहन कर चुकता प्रमाण पत्र
8. वाहन का फिटनेश प्रमाण पत्र
9. वाहन का बीमा सम्बन्धी प्रमाण
10. वाहन प्रदूषण रहित होने का प्रमाण पत्र
11. वाहन टैक्सी परमिट होकर, अच्छी कण्डीशन में होना चाहिए।
12. वाहन Comprehensure बीमित होना चाहिए।
13. सक्षम अधिकारी द्वारा बताये गए रूट चार्ट के अनुसार ही शैक्षणिक भ्रमण के दौरान वाहन को ले जाना होगा।
14. निविदा वास्तविक वाहन मालिक/फर्म के प्रोपराईटर द्वारा ही दी जाये तथा न्यूनतम एक वाहन के पंजियन नं0 का उल्लेख प्रमाणन हेतु करना होगा।
15. वाहन किराये की दरे प्रति कि.मी से प्रस्तावित की जावे जिसमें डीजल व अन्य व्यय सम्मलित हों।
16. वाहन के उपयोग के लिए डीजल एवं अन्य खर्चो का भुगतान वाहन मालिक (निविदादाता) द्वारा किया जावेगा। कार्यालय द्वारा किसी प्रकार का अग्रिम राशि देय नहीं होगी।
17. यात्रा के दौरान वाहन की मरम्मत/नुकसान/चालान/दुर्घटनाग्रस्त आदि होने पर, इनका व्यय मालिक द्वारा वहन किया जावेगा। इस कार्यालय का कोई दायित्व नही होगा।
18. यात्रा के दौरान वाहन चालक के खर्चे, रात्रि विश्राम व वाहन पार्किग के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा।
19. वाहन चालक सदाचारी हो, नशीले पदार्थो का प्रयोग नहीं करता हो व व्यवहार कुशल रूप में उपस्थित हो।
20. वाहन संचालन पर कि0 मी0 की गणना प्रारम्भिक रिर्पोटिग स्थान से वापस यात्रा समाप्ति पर उसी स्थान तक की जावेगी तथा लॉग बुक का संधारण किया जाकर भ्रमण प्रभारी द्वारा प्रमाणित किये जाने पर ही भुगतान किया जायेगा।
21. किराया कि.मी. (जिसमें डीजल व अन्य व्यय सम्मलित हैं) व अन्य राज्यों के वास्तविक कर के अलावा अन्य कोई भुगतान इस कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।
22. निविदा फार्म पेन/बॉल पेन से अथवा टंकण से भरा ही प्रस्तुत किया जावे। पेन्सिल से भरा हुआ निविदा फार्म स्वीकृत नहीं किया जावेगा। प्रत्येक पेज पर शर्तो एवं समझौतों पर सहमति स्वरूप निविदादाता के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
23. निविदादाता को अपनी दरें अंको एवं शब्दों में साफ–साफ लिखा जाना चाहिए। इनमें कोई त्रुटियां/अपरिलेखन नहीं होना चाहिए/अशुद्धियां होने पर लघु हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
24. निविदा में निविदादाता द्वारा लगाई गई शर्ते मान्य नहीं होगी।
25. दरें वर्ष .... तक मान्य होगी तथा इस अवधि का आपसी सहमति से बढाया जा सकेगा।
26. कार्य सन्तोषजनक होने पर ही भुगतान किया जायेगा तथा नियमानुसार आयकर व अन्य आवश्यक करों की कटौती की जावेंगी।
27. उपापन कमेटी किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने हेतु व बोली शर्तो में संशोधन हेतु पूर्णतया सक्षम होगी।
28. विवाद की स्थिति में न्यायालय परिक्षेत्र,
29. निर्धारित समय/अवधि में कार्य सम्पादन नहीं करने पर नियमानुसार शास्ति आराकपित की जावेगी एवं हानियों की वसूली की जावेगी।

30. निविदादाता अपनी निविदा को या निविदा के किसी भाग को अन्य एजेन्सी को नही सौपेगा तथा सबलेट पर भी नहीं देगा।
31. निर्धारित समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराने या संचालित वाहन खराब होने पर बोलीदाता को तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा अन्यथा निविदा दाता/ट्रांसपों की रिस्क पर बाजार दर से दूसरे वाहन किराये पर ले लिये जायेगें तथा बोली में स्वीकृत दर तथा दूसरा वाहन मालिक को देय वास्तिविक किराये की अन्तर राशि की वसूली निविदादाता से की जावेगीं।
32. दुर्गम स्थान जहा बड़ा वाहन जाना संभव नहीं हो वहां पहुचने हेतु अन्य साधन की व्यवस्था वाहन मालिक द्वारा निविदा में दी गई दरो पर करनी होगी, जिसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
33. वाहन आवश्यकता के अनुसार नियत तिथि को नियत स्थान पर उपलब्ध करवाने होगें जिसके लिये अलग से समय पर लिखित आदेश दे दिये जावेंगें।
34. सफल निविदा दाता को निविदा की अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करानी होगी। अमानत राशि का उसमें समायोजन कर लिया जावेगा।
35. अमानत राशि को निम्नलिखित मामलों में समर्पण कर लिया जा सकता है :–
    (अ) जब निविदा दाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापिस ले लेता है या उसमें उपान्तरण (Modification) करता है।
    (ब) जब निविदा दाता निर्विदिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को निष्पादित नहीं करता है।
    (स) जब निविदा दाता अदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
36. प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जावेगा।
    क. जब शर्तो का उल्लंघन किया जावेगा।
    ख. जब निविदा दाता सम्पूर्ण सप्लाई/कार्य संतोषजनक ढ़ंग से करने में असफल रहेगा।
    ग. जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार सामग्री की सप्लाई प्रारम्भकरने में असफल रहता है।
37. सफल निविदा दाता को 100 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध एस. आर. फार्म 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा। करार पत्र को पूर्ण करने एवं उसकी लागत को निविदा दाता द्वारा वहन किया जावेगा।
38. उपरोक्त के अलावा अन्य शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वितिय एवं लेखा नियम के अनुसार मान्य होगी।

    उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 32 तक शर्ते मुझे/हमें स्वीकार है जिसके सहमति स्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

निविदा दाता के हस्ताक्षर

वाहन दो डिलक्स मिनी बसें किराये हेतु प्रस्तावित दर :–

बस का प्रकार	वाहन का रजिस्ट्रेशन संख्या	दर प्रति किलोमीटर सभी खर्चो (डीजल/ऑयल) सहित (अन्य राज्यों के वास्तिविक कर को सम्मिलित नहीं किया गया है।)
दो डिलक्स मिनी बसें		अंको में .... शब्दो में ....

निविदा के हस्ताक्षर
फर्म का नाम व पता
....

....

मोबाइल नं. ....